कार्यालय प्राचार्य–शासकीय महाविद्यालय भितरवार, जिला ग्वालियर

क्रमांक/ 1063 दिनांक 13/09/22

//सत्र 2022–23 के लिये निःशुल्क स्टेशनरी क्रय हेतु निविदा आमंत्रण //

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजना के अतंर्गत 500/– रू. प्रति विद्यार्थी की दर से स्टेशनरी क्रय किया जाना है। अतः स्टेशनरी के पंजीकृत निर्माता/विकेता जिनका जी.एस.टी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, उनसे स्टेशनरी के लिये मोहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा विभागीय बेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिवस् के अन्दर कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक द्वारा निविदा भेजी जा सकती है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

क्र	सामग्री का नाम	दर प्रति नग	जी.एस.टी	जी.एस.टी सहित कुल राशि
1	रजिस्टर लेमिनेटेड कवर सहित "ए"–4 साईज पेपर से निर्मित, पृष्ठ संख्या 284			
2	रजिस्टर लेमिनेटेड कवर "ए"–4 साईज पेपर से निर्मित, पृष्ठ संख्या 192			
3	रजिस्टर लेमिनेटेड कवर सहित "ए"–4 साईज पेपर से निर्मित, पृष्ठ संख्या 172			
4	बॉल पेन फाईन ग्रिप (सैलो कम्पनी)			
5	पेन्सील एचबी, (अप्सरा कम्पनी)			
6	रबर (अप्सरा कम्पनी)			
7	शार्पनर (अप्सरा कम्पनी)			
8	मिनी प्लास्टिक स्टेपलर कंगारू			
9	फोल्डर फाईल प्लास्टिक डॉक्यूमेंटस के लिये (20 फोल्डर)			
10	स्केल प्लास्टिक 12 इंच			

शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. निविदा बंन्द लिफाफे में होना चाहिए, जिसके ऊपर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति स्टेशनरी योजना वर्ष 2022–23 हेतु निविदा स्पष्ट लिखा होना चाहिये।
2. निविदा के साथ सभी सामग्री के नमूने भेजना अनिवार्य है।
3. निविदाकार के द्वारा सामाग्री का मूल्य एवं जी.एस.टी दर्शाते हुये दरे प्रेषित की जावे।
4. निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग में जी.एस.टी के तहत होना अनिवार्य है। साथ ही पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करे।
5. निविदा स्वीकृत होने पर स्टेशनरी सामग्री क्रय करने के पूर्व महाविद्यालय की कय समिति द्वारा स्टेशनरी सामाग्री का अवलोकन किया जावेगा एवं तत्पश्चात् कय आदेश जारी किया जावेगा।
6. आदेशित सामग्री महाविद्यालय में प्रदाय करना होगा। अतः दर्शित दरो में समस्त परिवहन व्यय जी.एस.टी के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नही किया जावेगा। एफ0ओ0ओर महाविद्यालय परिसर होगा।
7. निविदा की दरे 2022–23 के लिये मान्य रहेगी।
8. भेजे गये सेम्पल के अनुसार सामग्री प्रदान करने पर ही देयक का भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
9. भुगतान शासन द्वारा बजट उपलब्ध होने पर कोषालय के माध्यम से किया जावेगा।
10. क्रय से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

13.09.2022

ग्रन्थपाल
(अतिथि विद्वान)
ग्रंथपाल
शासकीय महाविद्यालय
भितरवार

13/09/22
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय भितरवार
जिला ग्वालियर